



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1943 (श०)
पटना, बुधवार, _____
29 सितम्बर 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	8-8	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	
पूरक	---	
पूरक-क	---	9-10

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वित्त विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

सं० वि०(27)-पे०को०-20 / 2019-709--"बिहार राज्य अन्तर्गत दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना को दिनांक 01.09.2005 से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया जाता है एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 में उल्लेखित सभी कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया जाता है । "

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

The 30th September 2021

No. F(27)_Pen.Cell.-20/2019-709--"The Contributory Pension Scheme for the State Employees appointed on and after 01.09.2005 in the State of Bihar is notified as National Pension System under sub-section (1) of section 20 read with sub-section (4) of section 12 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and The National Pension System is extended to all the employees mentioned in Resolution no. 1964 dated 31.08.2005 of the Finance Department."

By Order of the Governor of Bihar,
Lokesh Kumar Singh, Secretary (Resources).

परिवहन विभाग

पत्रांक-07/स्था०-25-02/2021, परि०-6100

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय-

पटना, दिनांक 24 सितम्बर 2021
वाहन जनित दुर्घटना के मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन हेतु परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-4887, दिनांक-11.08.2021 द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के रूप में गठन के फलस्वरूप इसके सुचारु संचालन हेतु अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 02 (दो), मोटरयान निरीक्षक के 02 (दो), आशुलिपिक के 01 (एक), उच्च वर्गीय लिपिक के 01 (एक) एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 01 (एक) पदों का 42,83,280/- (बयालीस लाख तेरासी हजार दो सौ अस्सी रु०) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-

स्वीकृत।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल वाद सं०-9936 एवं 9937/2016 उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में वाहन दुर्घटना से संबंधित मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन हेतु एक राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण गठित किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-89(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त अधिसूचना सं०-4886, दिनांक-11.08.2021 एवं अधिसूचना सं०-4887, दिनांक-11.08.2021 द्वारा दावा न्यायाधिकरण के कार्य को भी निष्पादित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त कार्य बल/कार्मिक के रूप में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 02 (दो), मोटरयान

निरीक्षक के 02 (दो), आशुलिपिक के 01 (एक), उच्च वर्गीय लिपिक के 01 (एक) एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 01 (एक) पद (कुल 07 पदों) का 42,83,280/- (बयालीस लाख तेरासी हजार दो सौ अस्सी रु०) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सृजित किये गये पद निम्नवत् हैं—

क्र०	पदनाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतन संरचना	पद समूह	पद की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर	02	लेवल-7	ख	राजपत्रित
2.	मोटरयान निरीक्षक	02	लेवल-6	ख	अराजपत्रित
3.	आशुलिपिक	01	लेवल-4	ग	अराजपत्रित
4.	उच्च वर्गीय लिपिक	01	लेवल-4	ग	अराजपत्रित
5.	निम्न वर्गीय लिपिक	01	लेवल-2	ग	अराजपत्रित
	कुल स्वीकृत पद —	07			

3. उपर्युक्त पदों के सृजन पर होने वाले व्यय मांग सं०-47 के मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर-00-001-निदेशन और प्रशासन-0001-राज्य परिवहन अधिकरण (विपत्र कोड-47-2041000010001) में उपबंधित राशि से की जाएगी।

4. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की परिचालन के माध्यम से सम्पन्न बैठक (मद सं०-04) एवं मंत्री परिषद् की दिनांक 22.09.2021 की बैठक (मद सं०-09) में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु०-व्यय विवरणी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) मु०-02/2019-565087-मो० युनुष सलीम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के विपरीत आवास का लाभ दिये जाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1429 दिनांक 17.12.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

आरोप के आलोक में मो० सलीम द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० सलीम द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016-17 हेतु संबंधित पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक द्वारा SECC सूची सत्यापन के पश्चात प्राथमिकता सूची तैयार किया जाना था।

संबंधित ग्रामीण आवास सहायक द्वारा प्राथमिकता 16.09.2016 आयोजित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया था एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन एवं प्रकाशित सूची के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी प्रकार का दावा/आपत्ति प्रखंड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ दोनों लाभुक महावीर महतो एवं सुनैना देवी द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता से संबंधित शपथ-पत्र भी प्रखंड कार्यालय साहेबगंज को उपलब्ध कराया गया था।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षणपरान्त पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों के विरुद्ध दो अयोग्य लाभुकों - श्री महावीर महतो एवं सुनैना देवी को आवास का लाभ दिया गया। इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभुकों को आवास स्वीकृति किया गया है, जो कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

अतएव मो० युनुष सलीम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर, अरवल के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के लिए 'चेतावनी का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि मो० युनुष सलीम के चारित्रि पुस्तिका/सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरंगन डी०, सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

14 सितम्बर 2021

सं० भा०व०से०(स्था०)(2)-21/1998/2684/प०व०—भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3(1)(B)(ii) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री आलोक कुमार, भा.व.से. (BH:2012) को दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior Administrative Grade) वेतन स्तर-12 में प्रोन्नति दी जाती है।

2. इस आदेश का इनकी आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

16 सितम्बर 2021

सं० एल/एच०जी०-14-13/2017-6693—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-1771 दिनांक 16.04.2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-935(23), दिनांक 24.08.2021 द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता के आलोक में श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-07.04.2021 से 27.04.2021 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं इनके उक्त अवकाश अवधि में औरंगाबाद जिले का प्रभार वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया को प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश के उपभोग के उपरांत श्री पाण्डेय की छुट्टी लेखा में कुल 65 (पैसठ) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

21 सितम्बर 2021

सं० 6/गो०-34-2/2001-1929/वा०कर०—श्री मनोज कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा में वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए होगी।

2. श्री मनोज कुमार सिंह को अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति की अवधि में उन्हें अपने पैतृक सम्बर्ग कोटि के वेतनमान में वेतन देय होगा।

3. श्री मनोज कुमार सिंह के न्यायिक सेवा का पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा न्यायिक पदाधिकारी को देय है, वहीं सुविधा इन्हें भी अनुमान्य होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 सितम्बर 2021

सं० 6/गो०-34-05/2016(खण्ड-1)-1895/वा०कर०—श्रीमती वंदना वशिष्ठ (60वीं-62वीं), राज्य-कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार को अगले आदेश तक राज्य-कर सहायक आयुक्त, किशनगंज अंचल, किशनगंज में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 सितम्बर 2021

सं० 6/गो-34-03/2016(खण्ड-1):-1896—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थान का स्थान	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विपीन कुमार सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त	बेगुसराय	अंकेक्षण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	अंकेक्षण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के अतिरिक्त अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार।
2	श्री प्रणव बोध रूंगटा राज्य-कर अपर आयुक्त	भागलपुर	अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना।	अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के अतिरिक्त अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार।
3	श्री संजीव कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त	नालंदा	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग टी०आर०यू०, मुख्यालय, पटना।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

13 सितम्बर 2021

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-02/2018-वा०-कर०-1833—विभागीय अधिसूचना संख्या-7082 दिनांक 11.12.2018 द्वारा 56वीं-59वीं बैच के 90 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 24 पदाधिकारियों के चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री संतोष कुमार	93	गया	14.11.1981	पटना विशेष अंचल
2	श्री सन्नी	113	नालंदा	28.04.1990	पटना दक्षिणी अंचल
3	श्री ददन कुमार सिंह	125	औरंगाबाद	20.01.1984	पटना उत्तरी अंचल
4	श्री विवेक कुमार गुप्ता	126	पटना	25.03.1984	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
5	नरगिस	150	किशनगंज	25.08.1988	पूर्णिया अंचल
6	शिप्रा कुमारी	151	दरभंगा	26.02.1989	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
7	श्री प्रसून पुष्कर	183	बेगुसराय	28.02.1986	पटना मध्य अंचल
8	श्री समीर परिमल	194	गोपालगंज	01.03.1969	पटना दक्षिणी अंचल
9	श्री राम कृपाल साह	205	सीतामढ़ी	01.03.1977	पटना पश्चिमी अंचल
10	श्री संतोष कुमार	206	मधुबनी	27.10.1989	सारण अंचल
11	शर्मिका बाजपेयी	227	भागलपुर	31.10.1985	पटना मध्य अंचल
12	पुनीता कुमारी	234	सुपौल	02.01.1979	गौधी मैदान अंचल
13	कुमारी खूशबू रानी	236	भागलपुर	18.12.1986	सीतामढ़ी अंचल
14	श्री प्रदीप कुमार सिंह	240	बाँका	03.05.1982	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
15	श्री आनंद कुमार	246	पटना	03.03.1988	पूर्णिया अंचल
16	कुमारी अनु सोनी	282	सिवान	31.01.1986	सारण अंचल
17	श्री अजय कुमार पंडित	294	मुंगेर	08.03.1983	बाढ़ अंचल
18	सहगुप्ता रहमान	319	पश्चिम चम्पारण	08.02.1987	मोतिहारी अंचल
19	प्रीति कुमारी	789	मुंगेर	26.01.1988	बेगुसराय अंचल

20	श्री सुधांशु कुमार	932	बक्सर	10.12.1985	सिवान अंचल
21	श्री उमेश कुमार दास	1031	जमुई	04.03.1979	दानापुर अंचल
22	श्री नागेन्द्र प्रसाद	1070	मधुबनी	22.06.1983	दरभंगा अंचल
23	श्री शशि भूषण कुमार	1074	दरभंगा	03.12.1978	किशनगंज अंचल
24	श्री आशीष कुमार पासवान	1082	नालन्दा	25.03.1979	खगड़िया अंचल

अतः उपर्युक्त 24 नव नियुक्त पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या-7082 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा की गयी औपबन्धिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2021

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2020 सा०प्र० 9558—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक औरंगाबाद जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) —सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-4575 दि० 08.08.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	10.08.2021	पैक्स निर्वाचन, 2021	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)—सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-4576 दि० 08.08.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	10.08.2021	पैक्स निर्वाचन, 2021	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।

15 सितम्बर 2021

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2020 सा०प्र० 10548—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक किशनगंज जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं०)– सह-जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-985 दि० 06.09.2021 में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अवधि हेतु	पंचायत आम निर्वाचन, 2021	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	किशनगंज

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 24—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

1 सितम्बर 2021

सं० 6/गो०-34-01/2021-1727 —स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-1087 दिनांक 30.06.2021 के क्रमांक 10 के कॉलम-2 में अंकित “श्री विवेक कुमार” के स्थान पर “श्री विवेक” शुद्ध रूप में पढ़ा जाय।

शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

शुद्धि पत्र

17 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) अ०-01/2020-569288--अधिसूचना संख्या 564752, पटना, दिनांक-14.09.2021 में अधिरोपित दंड ‘चेतावनी का दंड’ के स्थान पर ‘असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड’ पढ़ा जाय।

अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 24—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक (अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 15/एम 1-69/2021-1997

शिक्षा विभाग

संकल्प

20 सितम्बर 2021

विषय :- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 07 उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्रों School of Journalism and Mass Communication, Patliputra School of Economics, Centre for River Studies, Centre for Geographical Studies, Centre for Astronomy, Centre for Stem Cell Technology एवं Centre of Philosophy को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के साथ संविलयन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 629 दिनांक 12.04.2017, संकल्प संख्या 193 दिनांक 09.02.2018, संकल्प संख्या 1573 दिनांक 22.09.2020 एवं संकल्प संख्या 1574 दिनांक 22.09.2020 द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में क्रमशः School of Journalism and Mass Communication, Patliputra School of Economics, Centre for River Studies, Centre for Geographical Studies, Centre for Astronomy, Centre for Stem Cell Technology एवं Centre of Philosophy की स्थापना की गई है।

2. इन शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्गत किये गये संकल्पों में प्रावधानित है कि ये शैक्षणिक केन्द्र स्वायत्तशासी होंगे। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा इनकी परीक्षा संचालित की जाएगी। साथ ही यह भी वर्णित है कि इन केन्द्रों में निदेशक के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

3. ये शैक्षणिक संस्थान जिन विषयों में उच्चतर शिक्षा एवं शोध के निमित्त स्थापित किए गए हैं, वे विषय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार इस विश्वविद्यालय के विषयों में भी समाहित किये जा चुके हैं। वर्णित स्थिति में इन संस्थानों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त इकाई के स्थान पर इन्हें इस विश्वविद्यालय के साथ संविलयित किया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है।

4. उपरोक्त के आलोक में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अधिनियमित होने के उपरांत इन संस्थानों के सम्यक् संचालन हेतु इन सातों शैक्षणिक संस्थानों का संविलयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के साथ

किया जाता है। विश्वविद्यालय में संविलयन के उपरांत ये संस्थान इस विश्वविद्यालय के अलग-अलग स्कूल के रूप में नामित होकर संचालित होंगे।

5. School of Journalism and Mass Communication, Patliputra School of Economics एवं Centre for Geographical Studies में विभागीय स्तर से नियुक्त किए गए निदेशक अपने पूर्व के सेवा शर्तों के साथ कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। उनके कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत इन संस्थानों के निदेशक के पद को विलोपित समझे जायेंगे। साथ ही साथ Centre for River Studies, Centre for Astronomy, Centre for Stem Cell Technology एवं Centre of Philosophy के लिए विभिन्न संकल्पों से विभाग द्वारा निदेशक के सृजित किए गए पद को विलोपित किया जाता है।

6. इन संस्थानों के लिए सृजित किए गए समन्वयक के पदों को शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए निर्धारित वेतनमान पी0बी0 3+ 5400, (अपुनरीक्षित) अथवा वेतन स्तर— 9 (पुनरीक्षित) में ही आवश्यकतानुसार किसी दूसरे प्रशासनिक पद के रूप में पदनाम परिवर्तित किया जाएगा।

आदेश —आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अरशद फिरोज, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 24—571+10—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>